रजिस्ट्री सं० डी—(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1981 (अग्रहायण 14, 1903)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1981 (AGRAHAYANA 14, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-11, दिनांक 17 नवम्बर 1981

सं० ए० 32013/3/80-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 जून, 1981 के अनुक्रम में 1980 के के० स० से० अधिकारियों की चयन सूची में शामिल उसके ग्रेड I में नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० ज्ञा० सं० एफ० 4/11/81-स्था० (1) दिनांक 25-11-1981 की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 29-9-1981 से तीन मास की अग्रेतर अवधि के लिए अल्प अवधि के आधार पर अवर सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	नाम	चयन सूची में क्रं० सं०
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	जे० एस० साहनी	9
2.	पी० जैन	84
3.	बाला कृष्णन	85
4.	एन० के० सोनी	86
5.	जी० पी० सक्सेना	94

य० रा० गांधी,
अवर सचिव (प्रशा०)
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110022, दिनांक 16 नवम्बर 1981

सं. ओ. दो. 1577/81-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डा. बिरोचन दास को 20-10-1981 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

सं. ओ. दो.-1607/81-स्थापना—राष्ट्रपति डा. अशोक कुमार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड-II (डी.एस.पी./कम्पनी कमांडर) के पद पर दिनांक 31 अक्तूबर

1981 के पूर्वाह्न से डाक्टरी परीक्षण में ठीक पाये जाने की शर्त पर नियुक्त करते हैं।

सं. ओ. दो. 1586/81-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डा. (कुमारी) अर्चना चौधरी को 6-10-1981 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

ए. के. सूरी,
सहायक निदेशक
स्थापना

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 नवम्बर 1981

सं. ए-12012/1/81-प्रशासन—समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) के सर्वश्री एच. एस. खेरा एवं शेर सिंह, वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को इस निदेशालय में अगले आदेशों तक अस्थायी आधार पर अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद पर वेतन मान रु. 650-30-740-35-810-द. रो.-35-880-40-1000-द. रो.-40-1200/-पर तारीख 23 अक्तूबर, 1981 के पूर्वाह्न से पदोन्नति दी गयी है।

छत्रपति जोशी
निदेशक
पुलिस दूर संचार

महानिदेशक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक अक्तूबर 1981

सं. ई-16014(2)/1/79-कार्मिक—31 अगस्त, 1981 के अपराह्न से के. औ. ब. में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने और उसी तारीख को उनकी निवर्तन की आयु होने पर श्री दलजीत सिंह ने के. औ. सु. ब. यूनिट, बी. एच. ई. एल. हरिद्वार के कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं. ई - 32015 (2)/2/81-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री दलजीत सिंह को 1 सितम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से पुनर्नियुक्ति के आधार पर के. औ. सु. ब. यूनिट, बी. एच. ई. एल. हरिद्वार का कमांडेंट नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र नाथ,
महानिदेशक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 नवम्बर 1981

सं. 11/2/80-प्रशा.-I—राष्ट्रपति, बिहार सिविल सेवा के अधिकारी श्री एस. एम. एस. कुमार को बिहार, पटना में जनगणना कार्य निदेशालय में दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री कुमार का मुख्यालय दरभंगा में होगा।

सं० 11/2/80-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, बिहार सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष दर्शित तारीख से अगले आदेशों तक बिहार, पटना में जनगणना कार्य निदेशालय में स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उप निदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख	मुख्यालय
1.	श्री मोहन लाल	16 फरवरी, 1981	पूर्णियां
2.	श्री ए० के० श्रीवास्तव	6 अक्तूबर, 1980	छपरा

2. यह इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना क्रमश तारीख 3-12-1980 और 12-3-1981 के आंशिक संशोधन में जारी किया जाता है।

पी० पद्मनाभ,
भारत के महापंजीकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण

अपील अधिकरण का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 1981

फा. सं. 6/सी.उ.स्व.अ.अ./81(1)—श्री एच. वी. पारदासानी ने, जो पिछले दिनों वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली, में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे, 1 अक्तूबर 1981 पूर्वाह्न से सहायक रजिस्ट्रार, अपील अधिकरण (सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

आर. एन. स

रक्षा लेखा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1981

सं०-प्रशा०-II/2606/81-1—वार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा-अधिकारियों को, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया :—

क्र० सं०	नाम, रोस्टर स० सहित	ग्रेड	तारीख जिससे पेंशन स्थापना को अन्तरित किया गया।	संगठन
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	वी० सुन्दरेशन पी०/5	स्थायी लेखा अधिकारी	21-1-1981 (स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्ति)	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) बम्बई।
2.	एम० एम० पोपली पी०/520	—यथोपरि—	31-1-1981	रक्षा लेखा संयुक्त-नियंत्रक (निधि) मेरठ।
3.	ए० के० नन्दी पी०/398	—यथोपरि—	31-1-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना।
4.	जी० एस० रोजा पी०/313	—यथोपरि—	31-1-1981	—यथोपरि—
5.	टी० के० सुब्रह्मनियन, पी०/269	—यथोपरि—	31-1-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास।
6.	एम० जी० साठे ओ०/117	स्थानापन्न लेखा-अधिकारी	31-1-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पुणे।
7.	सत्य नारायण बोस, ओ०/अभी आबंटित नहीं।	—यथोपरि—	31-1-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
8.	मनीन्द्र नाथ बोस, पी०/345	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-1981	—यथापरि—
9.	एम० जी० मनकीकर, ओ०/अभी आबंटित नहीं।	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	28-2-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान पुणे।
10.	पृथ्वीराज चोपड़ा, पी०/257	स्थायी लेखा अधिकारी	28-2-1981	रक्षा लेखा संयुक्त-नियंत्रक (निधि) मेरठ।
11.	बी० एल० बवेजा, पी०/189	—यथोपरि—	28-2-1981	रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली-22
12.	जी० पी० चौधरी, पी०/202	—यथोपरि—	28-2-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना।
13.	आर० विम्बन, पी०/83	—यथोपरि—	28-2-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास।
14.	वी० एन० गंगाधरन नायर, पी०/294	—यथोपरि—	28-2-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
15.	अमूल्य नाथ चक्रवर्ती पी०/96	—यथोपरि—	28-2-1981	—यथोपरि—
16.	टी० जी० श्रीनिवासन ओ०/अभी आबंटित नहीं	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	28-2-1981	—यथोपरि—
17.	सत्येन्द्र कुमार मित्रा ओ०/27	—यथोपरि—	28-2-1981	—यथोपरि—

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
18.	नन्द लाल गोगिया, पी०/587	स्थायी लेखा अधिकारी	28-2-1981	—यथोपरि—
19.	कुन्दन लाल शर्मा, ओ०/अभी आबंटित नहीं	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	28-2-1981	—यथोपरि—
20.	एस० रामू, ओ०/75	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण मुद्रा
21.	एस० श्रीनिवासन, पी०/58	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-1981	—यथोपरि—
22.	वी० अच्युत नारायण, पी०/427	—यथोपरि—	31-3-1981	—यथोपरि—
23.	आर० राधाकृष्णन, ओ०/259	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पुणे
24.	के० चक्रवर्ती पी०/151	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-1981	रक्षा, लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान पुणे
25.	डी० आर० शर्मा, पी०/539	—यथोपरि—	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना) देहरादून।
26.	जी० एन० भाटिया, पी०/344	—यथोपरि—	31-3-1981	—यथोपरि—
27.	पदम लाल खत्री, पी०/177	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना।
28.	चित्तारन भट्टाचार्जी, पी०/147	—यथोपरि—	31-3-1981	—यथोपरि—
29.	जोगिन्दर सिंह, तलवार पी०/322	—यथोपरि—	31-3-1981	—यथोपरि—
30.	सुशीतल बनर्जी पी०/191	—यथोपरि—	31-3-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
31.	पी० महादेवन पी०/297	—यथोपरि—	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौसेना) बम्बई।
32.	पी० के० भट्टाचार्जी, ओ०/अभी आबंटित नहीं,	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-12-1980	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद।
33.	जे० बी० सक्सेना, ओ०/127	—यथोपरि—	31-1-1981	—यथोपरि—
34.	वी० के० मोहन राव, पी०/81	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-1981	—यथोपरि—
35.	ए० के० सरकार, ओ०/अभी आबंटित नहीं	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-1-1981	—यथोपरि—
36.	पी० सी० अस्थाना, पी०/54	स्थायी लेखा अधिकारी	28-2-1981	—यथोपरि—
37.	राजेन्द्र पाल ओ०/382	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	28-2-1981	—यथोपरि—
38.	राम प्रकाश, ओ०/279	—यथोपरि—	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद।
39.	डी० आर० गोरवारा ओ०/276	—यथोपरि—	31-3-1981	—यथोपरि—

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
40.	जे० एन० माथुर, पी०/431	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद ।
41.	ओ० पी० नारंग, पी०/161	—यथोपरि—	31-3-1981	—यथोपरि—
42.	एन० एल० गुप्ता, पी०/363	—यथोपरि—	31-1-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।
43.	बी० डी० नांगिया, ओ०/345	—यथोपरि—	28-2-1981	—यथोपरि—
44.	के० एन० अग्रवाल, ओ०/83	—यथोपरि—	28-2-1981	—यथोपरि—
45.	एस० डी० शर्मा, पी०/475	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-1981	—यथोपरि—
46.	के० पी० अलबल, ओ०/अभी आबंटित नहीं	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ ।
47.	एस० डी० ग्रोवर ओ०/138	—यथोपरि—	31-3-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ ।
48.	बी० एम० सेंगर, ओ०/9	—यथोपरि—	31-3-1981	—यथोपरि—
49.	डी० डी० हांडा, पी०/349	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-1981	—यथोपरि—
50.	एम० एल० वर्मा, ओ०/15	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-3-1981	—यथोपरि—
51.	एन० बी० फड़के, पी०/148	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-1981	—यथोपरि—
52.	एस० एन० डन्डोना, पी०/199	—यथोपरि—	30-4-1981	—यथोपरि—
53.	एस० वेंकटारामन, पी०/59	—यथोपरि—	30-4-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी, कमान, पुणे ।
54.	बी० वी० बोर्गावकर पी०/464	—यथोपरि—	30-4-1981	—यथोपरि—
55.	एन० राम कृष्णन पी०/159	—यथोपरि—	30-4-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अफसर) पुणे ।
56.	पी० ऐ० परांजपी, ओ०/अभी आबंटित नहीं ।	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-4-1981	—यथोपरि—
57.	जे० एस० अग्ते, ओ०/276	—यथोपरि—	30-4-1981	—यथोपरि—
58.	जी० कल्याणा सुन्दरम, ओ०/31	—यथोपरि—	30-4-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास ।
59.	पी० वी० प्रभाकरन नायर, ओ०/अभी आबंटित नहीं ।	—यथोपरि—	30-4-1981	—यथोपरि—
60.	एस० मलयप्पन, पी०/82	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पुणे ।
61.	एम० गणेशन पी०/149	—यथोपरि—	30-4-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता ।
62.	बी० एस० शर्मा, ओ०/अभी आबंटित नहीं,	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-4-1981	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ ।

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
63.	एस० पी० नायर, पी०/45	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-1981	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ।
64.	एस० डब्ल्यू० अगाशे, पी०/अभी आबंटित नहीं।	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	30-4-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पुणे।
65.	एम० एल० मुखर्जी, पी०/510	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना।
66.	पी० बी० पाल, पी०/193	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-1981	—यथोपरि—
67.	सत्येन्द्र नाथ मुखर्जी, पी०/278	—यथोपरि—	30-4-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
68.	मृत्युंजय मुखर्जी, ओ०/अभी आबंटित नहीं।	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-5-1981	—यथोपरि—
69.	एस० बी० कुलकर्णी, पी०/103	स्थायी लेखा अधिकारी	31-5-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पुणे।
70.	के० वेंकटारामन पी०/206	—यथोपरि—	31-5-1981	—यथोपरि—
71.	एस० अरुणाचलम, पी०/420	—यथोपरि—	31-5-1981	—यथोपरि—
72.	जे० एन० बेदी, पी०/528	—यथोपरि—	31-5-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।
73.	आर० के० कपूर, ओ०/95	स्थानापन्न लेखा अधिकारी,	31-5-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।
74.	आर० के० रामानाथन, पी०/196	स्थायी लेखा अधिकारी	31-5-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास।
75.	बंस गोपाल चटर्जी, पी०/169	स्थायी लेखा अधिकारी	31-5-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
76.	एस० राम कृष्णन, पी०/61	—यथोपरि—	31-5-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण मद्रास।
77.	जे० एन० राय, ओ०/अभी आबंटित नहीं।	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-5-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद
78.	एस० रामा राव, पी०/201	स्थायी लेखा अधिकारी	30-4-1981	—यथोपरि—
79.	जे० आर० बाली, पी०/364	—यथोपरि—	30-4-1981	—यथोपरि—
80.	डी० वी० राम शास्त्री, पी०/186	स्थायी लेखा अधिकारी	31-5-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद।
81.	टी० एस० स्वामीनाथन, पी०/211	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
82.	रमेश सिंह, पी०/502	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
83.	हीरा लाल बाजपेयी, पी०/38	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
84.	एन० सी० फड़के, पी०/361	—यथोपरि—	30-6-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पुणे।
85.	एम० जे० अनकुले, पी०/217	—यथोपरि—	30-6-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।

1	2	3	4	5
86.	जे० एन० वी० नरसिम्हाराव, पी०/550	—यथोपरि—	30-6-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) देहरादून।
87.	गोविन्द लाल मुखर्जी, पी०/285	—यथोपरि—	30-6-1981	लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता।
88.	वी० गोपाल कृष्णामूर्ति, पी०/46	—यथोपरि—	30-6-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास।
89.	अजीत राम मेहरा, पी०/530	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
90.	एस० रंगाराजन, पी०/91	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
91.	एन० वी० अर्धनारी, पी०/319	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
92.	के० वी० नय्यर, पी०/178	—यथोपरि—	30-6-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना) बम्बई।
93.	एस० जी० कृष्णामाचारी, पी०/110	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना) बम्बई।
94.	ए० सी० दत्ता, ओ०/अभी आवंटित नहीं।	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-1-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ।
95.	जे० एस० कोचर, ओ०/अभी आवंटित नहीं।	—यथोपरि—	31-1-1981	—यथोपरि—
96.	बलवन्त सिंह आहूजा, पी०/48	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-1981	—यथोपरि—
97.	सोहन लाल कपूर, पी०/359	स्थायी लेखा अधिकारी	31-1-1981	रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ।
98.	के० एल० कालरा, ओ०/अभी आवंटित नहीं।	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	28-2-1981	—यथोपरि—
99.	राम रंग बत्रा, पी०/314	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-1981	—यथोपरि—
100.	श्याम लाल भल्ला, पी०/243	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
101.	एन० एम० महाजन, पी०/354	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—
102.	एस० एस० शर्मा, पी०/354-ए	—यथोपरि—	30-6-1981	—यथोपरि—

रक्षा लेखा महा नियंत्रक, निम्नलिखित लेखा अधिकारियों की मृत्यु अधिसूचित करते हुए खेद प्रकट करते हैं :—

क्र० सं०	नाम रोस्टर सं० सहित	ग्रेड	मृत्यु की तारीख	विभाग के संख्या-बल से हटने की तारीख	संगठन
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	जे० आर० मुदगिल, ओ०/392	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	27-11-80	28-11-80 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।
2.	सी० आर० सदागोपन ओ०/अभी आवंटित नहीं।	—यथोपरि—	15-1-81	16-1-81 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिणी कमान, पुणे।
3.	के० एल० शर्मा, ओ०/327	—यथोपरि—	27-7-81	27-7-81 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।

ए० के० घोष,
रक्षा लेखा उप महा नियंत्रक (परियोजना)

रक्षा मंत्रालय

आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड अधिसूचना

कलकत्ता-700069, दिनांक 13 नवम्बर 1981

सं० 11/81/ए/एम—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित सहायक चिकित्सा अधिकारियों का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। तदनुसार, उनके नाम आर्डनेन्स फैक्टरियों संघटन की नफरी से प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से काट दिए जाते हैं:—

क्रं० सं०	नाम एवं पद	फक्टरी के नाम जहां तैनाती थी	दिनांक	कैफियत
1.	डा० आर० जेड० बेंडमुथा, सहायक चिकित्सा अधिकारी	अम्युनिशन फैक्टरी, खड़की	1-3-1980 (पूर्वाह्न)	त्यागपत्र दिया
2.	डा० रनेन्द्र सरकार, सहायक चिकित्सा अधिकारी	गन एण्ड शेल फैक्टरी, काशीपुर,	30-6-1981 (पूर्वाह्न)	त्यागपत्र दिया

सं० 12/81/ए/एम—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित सहायक चिकित्सा अधिकारियों को आर्डनेन्स फैक्टरियों में प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेश न होने तक, नियुक्त करते हैं:—

क्रं० सं०	नाम एवं पद	नियुक्ति स्थान	दिनांक
1.	डा० गोपाल भरथ, सहायक चिकित्सा अधिकारी	गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर	13-7-1981 (पूर्वाह्न)
2.	डा० एम० शंकरप्पा, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स फैक्टरी, कटनी	29-7-1981 (पूर्वाह्न)
3.	डा० अमृत लाल सिंघल, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर	30-7-1981 (पूर्वाह्न)
4.	डा० अरुण कुमार जैन, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनेन्स फैक्टरी, मुरादनगर	1-8-1981 (पूर्वाह्न)
5.	डा० राजीव श्रीवास्तवा, सहायक चिकित्सा अधिकारी	क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर	31-8-1981 (पूर्वाह्न)
6.	डा० मानजीर हसनैन, सहायक चिकित्सा अधिकारी	वेहिकल फैक्टरी, जबलपुर	1-9-1981 (पूर्वाह्न)

सं. 13/81/ए/एम.—राष्ट्रपति महोदय, ड्राफ्ट गजट अधिसूचना सं. 4/80/ए/एम दिनांक 12-6-80 में निम्नलिखित संशोधन और करते हैं:—

1. **निकाल दिया जाय** : डा. (श्रीमती) ए. एस. जयकुमार, सहायक चिकित्सा अधिकारी का नाम सभी प्रविष्टियों के साथ।
2. डा. एस. एस. दाऊद साहेब, सहायक चिकित्सा अधिकारी के सम्बन्ध में त्याग-पत्र स्वीकृति की तारीख दिखाते हुए कालम 4 में।
   वास्ते : 19-11-79.
   पढ़ा जाए : 11-12-79 (पूर्वाह्न)
3. ऊपर (1) के अनुसार निकाले जाने के फलस्वरूप क्रमांकों को उचित रूप से पुनः क्रमांकित करें।

आर. जी. देवलालीकर,
अपर महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां/सदस्य (कार्मिक)

वाणिज्य मंत्रालय

वस्त्र विभाग

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 1981

सं. ए-12025(1)/5/80-व्यवस्था II(क)—राष्ट्रपति, श्री भरत लाल को 7 सितंबर 1981 अपराह्न से आगामी आदेशों तक के लिए बुनकर सेवा केन्द्र, पानीपत में सहायक निदेशक ग्रेड I (बुनाई) के पद पर नियुक्त करते हैं।

पी. शंकर,
अतिरिक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 1981

सं. ए-31013/10/80 प्र6—राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में स्थानापन्न उप निदेशक (निरीक्षण) (वस्त्र शाखा) भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" के ग्रेड II) श्री पी. के. बासु को दिनांक 1-12-1975 से उप निदेशक निरीक्षण (वस्त्र) के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

प्रशासन अनुभाग-1)

दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. प्र.-1/1(1924)—राष्ट्रपति, सहायक निदेशक पूर्ति (ग्रेड I) (भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप "ए" के ग्रेड III) श्री पी. सी. आर. मूर्ति को दिनांक 4-11-1981 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक उप निदेशक पूर्ति (भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप "ए" के ग्रेड II) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री मूर्ति ने सहायक निदेशक पूर्ति (ग्रेड I) का पदभार छोड़ दिया और दिनांक 4-11-81 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय नई दिल्ली में उप निदेशक पूर्ति का पदभार सम्भाल लिया।

(प्रशासन अनुभाग–6)

दिनांक, 16 नवम्बर 1981

सं० ए०–31013/7/78–प्र-6—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण स्कन्ध के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक अधिकारी के नाम के सामने लिखी तारीख से निरीक्षण निदेशक (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "क" ग्रेड I) के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रं० सं०	नाम	वर्तमान पद	पद जिस पर स्थाई किए गए।	स्थायी होने की तारीख	अभ्युक्तियां
	सर्वश्री				
1.	गोवर्धन एन० गिडवानी	निरीक्षण निदेशक	निरीक्षण निदे० (भारतीय निरी० सेवा ग्रुप ए० के० ग्रेड I)	1–8–1976	श्री के० सी० दत्ता गुप्ता, स्थाई निरी० निदे० के स्थान पर जो 31–12–73 को सेवा निवृत्त हुए।
2.	ए० के० गुहा	—वही— (सेवा निवृत्त)	—वही—	1–8–1976	श्री पी० एल० कथूरिया स्थाई निरी० निदे० के स्थान पर जो 31–8–74 को सेवा निवृत्त हुए)
3.	पी० सी० मुस्तफी	—वही— (सेवा निवृत्त)	—वही—	1–8–1976	श्री एम० एल० रे० स्थायी निरी० निदे० के स्थान पर जो 30–9–74 को सेवा निवृत्त हुए।
4	घनश्याम एन० गिडवानी	—वही— (सेवा निवृत्त)	—वही—	19–11–1976	श्री डी० टी० गुरसहानी स्थायी निरी० निदे० के स्थान पर जो० 15–11–74 को सेवा निवृत्त हुए
5.	एम० टी० कंसे	निरीक्षण निदेशक	—वही—	19–11–1976	श्री ए० मिश्रा स्थायी निरी० निदे० के स्थान पर जो 11-11-1976 को उप महानिदेशक के ग्रेड में स्थायी हुए।

एस० एम० कपूर,
उप निदेशक (प्रशासन)

(खान विभाग)

[खान विभाग]

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 6 नवम्बर 1981

सं. 7219 बी/ए-19012 (2-बी एस)/81/19 बी.—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिक) श्री बी. सत्यनारायण को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द. रो. -35-880 - 40-1000-द. रो.-40-1200 रु. के वेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 17-7-81 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है।

वी. एस. कृष्णस्वामी
महा निदेशक

कलकत्ता-700016, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं 7222 बी/ए-32013 (एम ओ)/80-19 ए.—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भंडार अधीक्षक (तकनीकी) श्री सी. आर. भट्टाचार्या को भंडार अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द. रो.-35-880-40-1000-द. रो.-40-1200 रु. के वेतनमान में, अस्थायी

क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 22-10-1981 के अपराह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है।

जे. स्वामी नाथ
महा निदेशक

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं० ई० 11-9/80 (ए-1) स्थापना--अभिलेख निदेशक, भारत सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर एतद्द्वारा नियमित अस्थायी आधार पर आगामी आदेशों तक निम्नलिखित नियुक्तियां करते है।

क्र० सं०	नाम और वर्तमान पदनाम	नियुक्ति	इस तारीख से
1.	श्री सैय्यद निसबत अली जाफरी सहा० अभिलेखाधिकारी ग्रेड-I (प्राच्य अभिलेख)	अभिलेखाधिकारी (प्राच्य अभिलेख श्रेणी 2 राजपत्रित)	17-10-81 (पूर्वाह्न)
2.	श्री प्रमोद मेहरा सहा० अभिलेखाधिकारी ग्रेड-I (सामान्य)	अभिलेखाधिकारी (सामान्य) (श्रेणी 2 राजपत्रित)	22-10-81 (पूर्वाह्न)

बी० एस० कालड़ा,
प्रशासन अधिकारी
कृते अभिलेख निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 1981

सं. 2/13/61-एस दो--महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री के. पी. मेनन, लेखाकार आकाशवाणी, कालीकट 23-10-81 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक अधिकारी, आकाशवाणी, त्रिचुरापल्ली के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 3/8/64-एस दो--महानिदेशक आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री ई. वी. एस. मूर्थी, लेखाकार दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद 4-11-1981 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक अधिकारी आकाशवाणी, विजयवाडा के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. वी. सेषाद्री
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 1981

सं. ए. 12025/3/81-के. स. स्वा. यो.--केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (लोधी रोड़, आयुर्वेदिक अस्पताल, नई दिल्ली) के अधीन आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप डा. आर. जे. अग्निहोत्री ने 17 अगस्त, 1981 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार संभाल लिया है।

टी. एस. राव
उप निदेशक प्रशासन (कें. स. स्वा. यो.)

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 9 नवम्बर 1981

सं. ए. 19023/9/79-प्र. तृ.--सेवा निवृत्ति की आयु पूर्ण करने पर बम्बई में तैनात इस निदेशालय के विपणन अधिकारी श्री एच. एन. भटनागर, दिनांक 30-9-81 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत हो गए हैं।

सं. ए. 19025/50/81-प्र. तृ.--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री शिवशंकर नंदनबार को इस निदेशालय में दिनांक 12-10-81 (पूर्वाह्न) अगले आदेश जारी होने तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग-I) के रूप में नियुक्त किया गया है।

दिनांक 10 नवम्बर 1981

सं. ए. 19025/47/81-प्र. तृ.--संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री टी. अम्बेडकर को इस निदेशालय में दिनांक 5-10-81 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग-II) नियुक्त किया गया है।

बी. एल. मनिहार
निदेशक प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कार्मिक प्रभाग

बम्बई 400085, दिनांक 16 नवम्बर 1981

संदर्भ पीए/85(9)/79-आर-4--निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री कडास्वामी मनचरण को इस अनुसंधान केन्द्र के सिविल अभियांत्रिकी प्रभाग में अस्थायी रूप में अगले आदेशों तक पूर्वाह्न दिनांक 2 नवम्बर, 1981 से वैज्ञानिक अधिकारी एस. बी. नियुक्त करते हैं।

ए. शंताकुमारा मेनोन
उपस्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

बम्बई-5, दिनांक 6 नवम्बर 1981

सं. विप्राइप्र/3(283)/76-स्थापना-I-14947--निदेशक, विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग, बम्बई एतद्द्वारा इस प्रभाग, के स्थायी लेखाकार और स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी श्री बी. एम. गणात्रा को अक्तूबर 3, 1981 के पूर्वाह्न से नवम्बर 2, 1981 के अपराह्न तक की अवधि के लिए उसी प्रभाग में लेखा अधिकारी-II के पद पर 840-40-1000-द

रो.-40-1200 के वेतनमान पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं, यह नियुक्ति श्री सी. आर. बालीयां, लेखा अधिकारी-।। के पद पर की जा रही है, जो छुट्टी पर चले गए हैं।

सं. वि. प्रा.ई.प्र./3 (283)/76-स्थापना-114948—निदेशक, विद्युत प्रायोजना इंजीनियरिंग प्रभाग, बम्बई एतद्द्वारा इस प्रभाग के एक स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक और स्थानापन्न लेखाकार श्री डी. एल. गवाणकर को अक्तूबर 3, 1981 के पूर्वाह्न से नवम्बर 2, 1981 के अपराह्न तक की अवधि के लिए उसी प्रभाग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर 650-30-740-35-880-द. रो.-40-960 के वेतनमान पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति सहायक लेखा अधिकारी श्री बी. एम. गणात्रा के स्थान पर की जा रही है, जिनकी लेखा अधिकारी-।। के पद पर पदोन्नति हुई है।

आर. व्हि. बाजपेयी
सामान्य प्रशासन अधिकारी

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई 400001, दिनांक 10 नवम्बर 1981

सं. क्र. भ. नि./21/1 (2)/79-स्थापना/21949—क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक ने श्री शंकर गोपाल जमशान्देकर स्थायी क्रय सहायक को दिनांक 1-6-1981 (पूर्वा.) से दिनांक 17-9-1981 (पूर्वा.) तक तदर्थ रूप से और दिनांक 17-9-1981 (पूर्वा.) से नियमित रूप से स्थानापन्न सहायक क्रय अधिकारी रु. 650-30-740-35-810 द. रो. 35-880-40-1000-द. रो.-40-1200 के वेतनमान में अग्रिम आदेशों तक इसी निदेशालय में नियुक्त किया है।

सं. क्र. भ. नि./23/3/79 स्थापना/21957—क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक ने श्रीमती एली मैथ्यूज सहायक भंडार अधिकारी को छुट्टी मंजूर हो जाने पर श्री जाहून वरीद स्थायी भंडारी को इसी निदेशालय में रुपये 650-30-740-35-810 द. रो. 35-880-40-1000-द. रो. 40-1200 के वेतन क्रम में स्थानापन्न सहायक भंडार अधिकारी तदर्थ रूप में दिनांक 4-5-1981 (पूर्वा.) से दिनांक 15-6-1981 (अप.) तक नियुक्त किया है।

के. पी. जोसफ
प्रशासन अधिकारी

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना

अणुशक्ति-323303, दिनांक 19 नवम्बर 1981

सं० रापविप/भर्ती/3(2)/81-स्थ०/64—तारीख 26-10-1981 राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता इस परियोजना में वर्तमान में कार्यरत निम्नलिखित अराजपत्रित तकनीकी स्टाफ को प्रत्येक के नाम के सामने लिखे ग्रेड में व उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से अगले आदेश होने तक के लिए इसी परियोजना में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	नाम तथा पदनाम	पद जिस पर नियुक्त हुए हैं	कार्यभार संभालने की तारीख
	सर्वश्री		
1.	सुरेन्द्र मोहन सिक्का, फोरमैन	वैज्ञानिक अधिकारी इंजीनियर ग्रेड एस० बी०	1-8-1981
2.	बृज मोहन मानव, वै० सहायक 'सी"	,, ,, ,,	1-8-1981
3.	विरेन्द्र कुमार गुप्ता	,, ,, ,,	3-8-1981
4.	सुरजीत सिंह, फोरमैन	,, ,, ,,	1-8-1981

मोती लाल मालू,
सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती)
वास्ते मुख्य परियोजना इंजीनियर

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500016, दिनांक 10 नवम्बर 1981

सं प. ख. प्र./2 (3321)/81-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री वी. विजय कुमार, वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड एस बी का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। श्री विजय कुमार ने 12 अक्तूबर 1981 के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

दिनांक 13 नवम्बर 1981

सं. प. ख. प्र.-2/3118/80-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री आर. के. अग्रवाल, वैज्ञानिक अधिकारी/एस बी का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं। श्री आर. के. अग्रवाल ने 6 नवम्बर, 1981 के अपराह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. एस. राव
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजना

बम्बई-400008, दिनांक 10 नवम्बर 1981

सं. 05012/भ 5/स्था. प/6146—भारी पानी परियोजना के, विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री शिवचरन हेम्ब्रा बिरुवा, अस्थायी उच्च श्रेणी लिपिक, भारी पानी परियोजना (तलचर) को 19 जून, 1981 (पूर्वा.) से आगे आदेश होने तक के लिए

अस्थायी रूप में, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के. पी. कल्याणीकुट्टी
प्रशासन अधिकारी

रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपाक्कम-603102, दिनांक 31 अक्तूबर 1981

सं. ए 32013/13/81—रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने इस केन्द्र के स्थायी वैज्ञानिक सहायक (बी) तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक (सी) श्री जी. टी. हरिबल को 11 अगस्त, 1981 से रु. 650-30-740-35-810-ई बी-35-880-40-1000-ई बी-40-1200 के वेतनमान में अस्थायी वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड एस बी के पद पर नियुक्त किया है।

एस. पदमनाभन
प्रशासनिक अधिकारी

पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3 दिनांक 16 नवम्बर 1981

सं. स्था. (1) 07193—राष्ट्रपति, श्रीमती एन. जयन्ती को भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम विज्ञानी श्रेणी-2 के पद पर 30 सितम्बर 1981 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. क. दास
मौसम विज्ञान के अपर महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1981

सं. ए. 35018/6/79-ई. I—इस विभाग की दिनांक 26-2-81 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति ने आसूचना विभाग के एक अधिकारी श्री के. के. नागर की नागर विमानन विभाग के नगर विमानन सुरक्षा संगठन में सहायक निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा (वेतन मान रु. 1200-1800+रुपये 300/- विशेष वेतन प्रतिमास) के पद पर की गई प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 20-7-81 से आगे एक और वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।

दिनांक 31 अक्तूबर 1981

सं० ए० 32013/8/80-ई० ए०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से और अन्य आदेश होने तक उप निदेशक/नियंत्रक विमानक्षेत्र के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है:—

क्रं० सं०	नाम	तैनाती स्टेशन	पदोन्नति की तारीख
	सर्वश्री		
1.	एस० भट्ट	उप निदेशक, पालम	12-2-1981
2.	आर० एन० भटनागर	उप निदेशक, मद्रास	30-5-1981
3.	के० एन० बहल	उप निदेशक, बम्बई	2-4-1981 (अपराह्न)
4.	के० सी० दुग्गल	उप निदेशक, योजना (मुख्यालय)	2-5-1981
5.	श्री आई० एम० तुली	उप निदेशक, हैदराबाद एयरपोर्ट	20-5-1981

सुधाकर गुप्ता,
उप निदेशक प्रशासन।

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 1981

सं. ए-32013/6/80-ई. एस.—राष्ट्रपति ने श्री सतिन्दर सिंह को दिनांक 16-9-1981 से और अन्य आदेश होने तक क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्र, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय में उप निदेशक विमान सुरक्षा (इंजी.)/क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा (इंजी.) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

सं. ए-32013/1/81-ई. एस.—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री एस. एल. नागर को महानिदेशक नागर विमानन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 16-9-1981 से अन्य आदेश होने तक सहायक निदेशक, विमान सुरक्षा (इंजी.)/वरिष्ठ विमान सुरक्षा अधिकारी (इंजी.) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

जगदीश चन्द्र गर्ग
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 9 नवम्बर 1981

विदेश संचार सेवा के महानिदेशक

स. 1/124/81-स्था.—एतद्द्वारा नई दिल्ली शाखा के पर्यवेक्षक श्री आसा सिंह को नियमित आधार पर 1-9-81 के पूर्वाह्न आगामी आदेशों तक उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबंधक नियुक्त करते हैं।

एच. एल. मलहोत्रा
उप निदेशक (प्रशा.)
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय विभाग

गुन्टूर-4, दिनांक 3 अक्तूबर 1981

(स्थापना)

सं० 11/81/(स्था०)—निम्नलिखित 'ग्रुप–बी' (राजपत्रित) अधिकारी प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से, वार्धक्य को प्राप्त होने के कारण सेवा-निवृत्त हो गए :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	स्थान जहां से सेवा निवृत्त हुए	सेवा निवृत्ति की तिथि (अपराह्न में)
	सर्वश्री		
1.	एस० रहीमन शरीफ अधीक्षक, के० उ० शु०	अंगोले रेंज	31–5–1981
2.	एम० ईजाम हुसैन, अधीक्षक, के० उ० शु०	विजांग–1, मंडल	30–6–1981
3.	वाई० वी० कृष्णाराव, अधीक्षक, के० उ० शु०	काकीनाडा–II रेंज	30–6–1981
4.	एन० कामेश्वर राव अधीक्षक, के० उ० शु०	बोब्बीली-रेंज	30–6–1981
5.	वी० ए० सूर्यनारायण मूर्ति अधीक्षक, के० उ० शु०	राजमुन्दरी-मंडल	30–6–1981
6	जे० लिंगमूर्ति, अधीक्षक, के० उ० शु०	काकीनाडा–1 रेंज	31–7–1981
7.	एस० राघेवेन्द्रा राव, महा० मुख्य लेखा अधिकारी	मुख्यालय, गुन्टूर	31–7–1981
8.	एम० एम० ए० के० हैदरी, अधीक्षक, के० उ० शु०	मेचिलि पट्टनम रेंज	31–8–1981

सं० 12/81/(स्था०)—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निम्नलिखित ग्रेड के अधिकारियों, कार्यालय अधीक्षकों/(व० ग्रेड) निरीक्षकों ने, जो कि क्रमश: प्रशासन अधिकारी/लेखाओं के परीक्षक तथा अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 'ग्रुप बी' (राजपत्रित) अधिकारियों के पद पर नियुक्त किए गए हैं, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से अपने-अपने पदों का कार्यभार संभाल लिया है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	तैनाती का स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री		
1.	डी० सुब्रह्मण्यम, अधीक्षक, के० उ० शु०	काडियाम रेंज	29–8–1981
2.	एम० वैंकटेश्वरा राव, अधीक्षक, के० उ० शु०	भीमावरम रेंज	29–8–1981
3.	एम० देवदास, अधीक्षक, के० उ० शु०	मैचिलि पट्टनम रेंज	31–8–1981 (पूर्वाह्न)
4.	मो० टिपुखां, लेखा परीक्षक	मुख्यालय गुन्टूर	29–8–1981
5.	वी० वी० कृष्णमूर्ति प्रशा० अधिकारी	गुन्टूर–मंडल	29–8–1981 (पूर्वाह्न)

सं. 13/81-(स्था.)—श्री पी भिक्षेस्वरा राव, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क "ग्रुप-बी" (राजपत्रित), ककडियाम रेंज का, दिनांक 7-8-81 को निधन हो गया।

डी कृष्णमूर्ति
समाहर्ता

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं 16/81—श्री ए. के दे गयने, जो पहले कलकत्ता स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय पश्चिमी बंगाल में सहायक समाहर्ता के पद पर कार्यरत थे राजस्व विभाग के दिनांक 13-5-1981 के आदेश स 81/1981 (फा. सं. ए-22012/18/81-प्रशा.-II) द्वारा स्थानांतरण होने पर निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कलकत्ता स्थित पूर्वी प्रादेशिक यूनिट में दिनांक 3-10-1981 (अपराह्न) को सहायक निदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

एस बी. सरकार
निदेशक निरीक्षण

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 1981

सं. 80/ई बी/1/1500/8—सर्व-साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 1-4-1981 से

खण्डवा - अकोला - पूर्णा मीटर लाईन खण्ड को मध्य रेलवे के भुसावल मण्डल के अधिकार-क्षेत्र से निकाल कर दक्षिण मध्य रेलवे के हैदराबाद (मी. ला.) मंडल को अन्तरित कर दिया गया है। अब हैदराबाद (मी. ला.) मण्डल का अधिकार-क्षेत्र खण्डवा तक बढ़ जायेगा और भुसावल मण्डल के अधिकार-क्षेत्र में तदनुरूपी कमी हो जायेगी।

यह समायोजन परिचालनिक कुशलता/प्रबन्ध नियंत्रण में सुधार लाने तथा उक्त क्षेत्र के रेल उपयोग-कर्ताओं को अधिक सन्तोष-जनक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

सं. 79/ई बी/1/1500/8—सर्वसाधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 1-10-1981 से नन्दयाल (छोड़कर) दोन कोंडा (छोड़कर) मीटर लाइन खण्ड को दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मण्डल के अधिकार-क्षेत्र से निकाल कर उसी रेलवे के गुन्तकल्लू मण्डल को अन्तरित कर दिया गया है। अब गुन्तकल्लू मण्डल का अधिकार-क्षेत्र दोन-कोंडा (छोड़कर) तक बढ़ जायेगा और विजयवाड़ा मण्डल के अधिकार-क्षेत्र में तदनुरूपी कमी हो जायेगी।

यह समायोजन उक्त क्षेत्र में परिचालनिक कुशलता में सुधार लाने के लिए रेलवे के दिन-प्रति-दिन के प्रशासन के हित में किया गया है।

हिम्मत सिंह
सचिव, रेलवे बोर्ड
एवं भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव।

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और

ईमिउनो केमिकाल ल्याबरेटरी लिमिटेड के विषय में

पश्चिम बंगाल, दिनांक

सं. 11942/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर ईमिउनो केमिकाल ल्याबरेटरी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्र से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. आर. सत्यनारायण
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और

रहमान चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5577/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि रहमान चिट फण्डस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और

आर. एस. सुन्दरम चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5694/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आर. एस. सुन्दरम चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और

मारकेटिंग एंड इन्जिनियरिंग कन्सलण्टस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5591/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मारकेटिंग एंड इन्जिनियरिंग कन्सलण्टस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और

विशराम इलेक्ट्रिकलस एंड इक्युपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5978/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विशराम इलेक्ट्रिकलस एंड इक्युपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और

टी. बी. एन. बस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 4404/560(5)81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि टी. बी. एन. बस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और

सतेण स्टील एंड अलाइ कास्टिंगस लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5311/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री रंगनातन मोटर सरवीस प्रैवेट लिमिटेड का सतेण स्टील एण्ड आइल कास्टिंगस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है ।

कम्पनी अधिनियम 1956 और
बराडये बेनिफिट फिटस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5286/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री रंगनातन मोटार सर्वीस प्रैवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
श्री रंगनातन मोटार सरवीस प्रैवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 4119/560 (5) 81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री रंगनातन मोटार सरवीस प्रैवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
सुन्दर राजा बस ट्रान्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 6003/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सुन्दर राजा बस ट्रान्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
श्री सेलव विनाथगर मुरुगन टेक्सटाइलस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 3443/560 (5)/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री सेलव विनाथगर मुरुगन टेक्सटाइलस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
रामकुमार मूवीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5535/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राम कुमार मूवीस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मिरान और कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5109/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मिरान और कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
श्री शक्ती प्रिन्टरस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5169/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री शक्ती प्रिन्टरस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
ईस्ट कोस्ट इन्जनीरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

मं. 5325/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ईस्ट कोस्ट इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड टेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
वी. सी. टी. फण्डस तिरुची प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

मं. 5520/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वी. सी. टी. फण्डस तिरुची प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
पारण प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 7 नवम्बर 1981

सं. 5476/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पारण प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
शकुन्तला रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

मं. 4091/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना

दी जाती है कि शकुन्तला रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मुसिरि पुलिवलाम ट्रांसपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 3750/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मुसिरि पुलिवलाम ट्रान्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और विजयलक्ष्मी फअवणडीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 4401/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि विजयलक्ष्मी फअवणडीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मनि मुरली ट्रान्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 4468/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मनि मुरली ट्रान्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और थेमसोक्ति चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 4664/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि थेमसोक्ति चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और यू. टि. यस्. बसरवीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 4775/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यु. टि. यस्. बसर्वीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पान्डियन फर्टिलाइजर्स और आइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 4860/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पान्डियन फर्टिलाइजर्स और आइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और चन्द्रा प्रसाद ट्रान्सपोर्टर्स अण्ड एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 4104/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि चन्द्रा प्रसाद ट्रान्सपोर्ट अण्ड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और नवशक्ति कमर्शियल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 12 नवम्बर 1981

सं. 4768/560/81—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नवशक्ति कमर्शियल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

ह. सलेवराज

कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार, तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मोतीलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 13 नवम्बर 1981

सं. 560/421—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, मोतीलाल सन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुजरात फाइबर ग्लास मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 13 नवम्बर 1981

सं. 560/2716—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुजरात फाइबर ग्लास मेन्युफैक्चरींग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वि. वाय राणे

सहायक प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य, अहमदाबाद

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, बंबई

बंबई, दिनांक 5 नवम्बर 1981

निर्देश सं. अर्जन इलाका-II/3175-25/81-82—अत: मुझे, संतोष दत्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं. एस. सं. 270, प्लाट सं. 1 और 2, एस. सं. 245ब नया एस. सं. 270 हिस्सा सं. 244 का भाग क्र. 3 और एस. सं. 245ब और सी. टी. एस. सं. ब/1121 है तथा जो संट जान बाप्टीस्टा पथ बान्दरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-3-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती फातिमा बेगम वाईफ आफ मोहमद अफजल खान।

(अन्तरक)

2. बान्दरा टाईडवेज को-ओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी।

(अन्तरिती)

3. अन्तरक: फातिमाबेगम वाईफ आफ मोहमद अफजल-खान।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्रीमती फातिमा बेगम वाइफ आफ मोहमद अफजल-खान।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षर जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या 1362/1980 बम्बई रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 23-3-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

संतोष दत्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, बंबई

तारीख : 5-11-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण).

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1981

आदेश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1083—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है
और जिसकी सं. ए-27 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उबापद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-3-81
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती स्वराज पाटनी, क्वार्टर नं. 2, महारानी कालेज, जयपुर ।

(अन्तरक)

2. श्री टिक्का दास, 413ए, आदर्श नगर, जयपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. ए/27 मोती डूंगरी एक्सटेंशन स्कीम, जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 586 दिनांक 13-3-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 2 नवम्बर, 81

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1981

आदेश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1077——यतः मुझे, एम. एल. चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. दुकान नं. 2-ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-5-1981 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :——

1. श्री शम्भू दयाल पुत्र बिहारी लाल गुप्ता, 5 क 6, जवाहर नगर, जयपुर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती ललिता देवी पत्नी कृष्ण किशोर खन्ना, सेठी कालोनी, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं. 2 ए अर्जुन लाल सेठी कालोनी, जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1054 दिनांक 2-5-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 2 नवम्बर, 81
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1981

आदेश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1074——यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट नं. 5 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-3-81
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

1. श्री दिलीप सिंह नाथावत पुत्र श्री मानधाता सिंह मुख्त्यारआम अर्जुन सिंह पुत्र श्री मानधाता सिंह, देवी सदन, सी-स्कीम, जयपुर ।

(अन्तरक)

2. श्री पदम सिंह पुत्र श्री अमोलक सिंह वर्मा निवासी सिविल लाइन, कोटा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 5 की भूमि 505 वर्ग गज, सी-स्कीम, चौमू हाउस, जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 709 दिनांक 25-3-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 2 नवम्बर, 81
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1981

आदेश सं. राज/सहा आ. अर्जन/1076—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रु. से अधिक है और जिसकी सं. ए-4 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-1981 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री विनोद कुमार पुत्र त्रिलोकीनाथ खुराना मकान नं. 149, पंजाब हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भक्तावाला अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती कृष्णा खुराना पत्नी विश्वेश्वर नाथ खुराना, 367 राजापार्क, जयपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूखण्ड संख्या ए-4, पर बनी हुई दुकान व बेसमेन्ट लैण्ड एरिया, जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 761 दिनांक 31-3-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 2 नवम्बर, 81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1981

आदेश सं. राज./सहा आ. अर्जन/1075—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है
और जिसकी सं. ए-4 है, तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 31-3-81 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

(1) श्री विनोद कुमार खुराना पुत्र श्री त्रिलोकीनाथ खुराना मकान नं. 149, पंजाब हाउसिंग बोर्ड कालोनी, भुक्तावरलां, अमृतसर।

(अन्तरक)

(2) श्री मुकुल खुराना पुत्र श्री विश्वेश्वर नाथ (नाबालिग) जरिए श्रीमती कृष्णा खुराना (संरक्षिका), मकान नं. 367, राजापार्क, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूखण्ड संख्या ए-4, जयन्ती मार्केट, एम. आई. रोड, जयपुर का ग्राउन्ड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 762 दिनांक 31-3-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 2-11-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1981

आदेश सं. राज./सहा. आ. अर्जन/1084—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्लाट नं. 3 है, तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20 अप्रैल, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री जनरल हिम्मत सिंह, 17 सिविल लाईन्स, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री विरेन्द्र सिंह, प्लाट नं. 3, बंगला नं. 17, सिविल लाईन्स, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 3, बंगला नं. 17, सिविल लाईन्स, जयपुर जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 929, दिनांक 20-4-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 2-11-81
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 2 नवम्बर 1981

आदेश सं. राज./सहा. आ. अर्जन/1098—यतः मुझे, एम. एल. चौहान,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं. प्लाट नं. 3-ए है, तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 8-7-1981 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती चन्दा देवी भण्डारी पत्नि श्री सुमेर मल भण्डारी, मथुरा हाउस, मनोज सिनेमा के सामने, कोटा (राज.)।

(अंतरक)

(2) श्री शान्ति कुमार सेठी एवं श्रीमती कामिनी सेठी, सेठी भवन, हनुमानजी का रास्ता, जयपुर।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 3(ए), क्षेत्रफल 750 वर्ग गज जो भवानी सिंह मार्ग, जयपुर पर स्थित है और उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 1711, दिनांक 8-7-81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम. एल. चौहान
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 2-11-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 24 अक्तूबर 1981

निर्देश सं. 367/81-82--यतः मुझे, डा. वि. एन. ललितकुमार राव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. सि. स. नंबर 162/36 है, तथा जो वार्ड नंबर तीन, देशपांडे नगर, हुबलि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हुबलि, अंडर डाकुमेंट नंबर 2719 दिनांक 16-3-1981 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

4—356GI/81

(1) (1) श्री गुरुसिद्दप्पा विरुपाक्षप्पा कारिण्ड, (2) श्री उमेश विरुपाक्षप्पा करिंड, ब्याहट्टि प्लोट, देशपांडे नगर, हुबलि।

(अन्तरक)

(2) श्री वी. एस. कुरडेकर, केयरओफ श्री गुरुराघवेंद्रा ज्वेलरी मार्ट, आर. के. गल्लि, हुबली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हुबलि शहर, देशपांडे नगर, वार्ड नं. तीन में स्थित 442 8/9 स्क्वेयर यार्ड खुला जगह, जिसका सि. स. नंबर है 162/36।

डा. वी. एन. ललितकुमार राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 24-10-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलोर

बेंगलोर, दिनांक 24 अक्तूबर 1981

निर्देश सं. सी. आर. 62/29869/80-81/ए. क्यू. बी.—यतः मुझे, डा. वी. एन. ललितकुमार राव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. प्रिमैसिस सं. 10 है, तथा जो सेन्ट जान रोड, सिविल स्टेशन, बेंगलोर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बेंगलोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-3-1981 **को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में **वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) **के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्री आई. ए. पटेल, डा. ए. एम. पटेल के पुत्र सं. 3-6-326, बशीर बाग, हैदराबाद (ए.पी.)। (अन्तरक)

(2) मैसर्स राजाराजेश्वरी एण्ड को. पार्टनर्स, (1) श्री ए. जे. पद्मनाभन, (2) श्री ए. जे. लोगनाथन, दोनों श्री ए. सी. जानकीराम मोदलियार के पुत्र हैं, सं. 38, सेन्ट जान्स रोड, बेंगलोर-42। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं. 4258/80-81 ता. 3-3-1981)

घर सम्पत्ती है जिसका प्रिमैसिस सं. 10, जिसमें पुराना बिल्डिंग, कांपोण्ड वाल और खाली जगह भी है।

सन्त जान रोड, सिविल स्टेशन, बेंगलोर-42।

चकबंदी है।

पू. में—तोप्प मोदलियार गार्डन

प. में—लक्ष्मी थियेटर

उ. में—तोप्पा मोदलियार क्वार्टर्स को प्यासेज

द. में—अन्नस्वामी मोदलीयार रोड

डा. वी. एन. ललितकुमार राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बेंगलोर

तारीख : 24-10-1981
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 23 अक्तूबर 1981

निर्देश सं. ए. सी. 59/रेंज-4/कल/81-82—यतः मुझे, के. सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है
और जिसकी सं. 95 है, तथा जो शम्भू हालदार लेन, हवड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हवड़ा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-3-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास **करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार** मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण **में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—**

(1) श्री गौर चांद रक्षित।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गीता रानी रक्षित।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए **कार्यवाहियां करता हूं।**

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी **अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, **जो उक्त** अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 3क. 2व.फ. 95, शम्भू हालदार लेन पर स्थित है। दस्तावेज नं.—1981 का 1306।

के. सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
54, रफीअहमद किदवाई रोड,
अर्जन रेंज-4, कलकत्ता-16

तारीख : 23-10-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भुबनेश्वर

भुवनेश्वर, दिनांक 4 नवम्बर 1981

निर्देश सं. 6/आ. ए. सी./ए. आर./भुबनेश्वर/81-82---अतः मुझे, पि. के. मिश्र,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. 1155 है, तथा जो भुबनेश्वर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिन्दुरिया, नयागढ़, भुबनेश्वर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-3-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गोपिनाथ राउतरा पिता जगबन्धु राउतरा, ग्रा. भाबलाई, नयागड़।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुशीलाबेन मिश्र, पत्नि श्री बैकन्थनाथ मिश्र, ग्रा. जगन्नाथपुर, बाहाली, नयागड़, पुरी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मौजा चीन्दुरिया, पि. एस. नं. 476, खाता नं. 812, प्लाट नं. 2202 एरिया ए.-35, मकान का साथ, नयागड़ में।

पि. के. मिश्र
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भुबनेश्वर

तारीख : 4-11-1981
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, दिनांक 24 अक्तूबर 1981

निर्देश सं. 4/81-82/आई ए. सी./ए. आर./भुवनेश्वर—अतः मुझे, पि. के. मिश्र,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. 2323 है, तथा जो प्लाट नं. 5ई में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भुवनेश्वर में, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-4-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री हरेकृष्ण मोहान्दी पि. गुरुचरण मोहान्दी, ग्राम दारुठेन्गा, चण्डका, जिला पुरी, उड़िसा।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बिनोदिनी घलबिसोई, स्वामी केशवचन्द्र घलबिसोई, ग्राम गलदालमुल, पोस्ट दालमल, जिला ढेन्कानाल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं. 5ई, डीड नं. 822, कल्पना एरिया भुवनेश्वर।

पि. के. मिश्र
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

तारीख : 24-10-1981
मोहर :

प्रारूप आई. टी. एन. एस. ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 अक्तूबर 1981

निदेश नं. पि. आर. नं. 1208/एक्वी./23-II/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं. नं. 128/1/2 (भाग) है, तथा जो नाबोई गांव, गांधीनगर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 31-3-1981
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार, मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती बाई जीवकोरबेन जोरदास, नावाकोबा तालुका, गांधीनगर।

(अन्तरक)

(2) (1) श्री आनन्द एस. साराभाई, दी रीट्रीट, शाही बाग, अहमदाबाद-380004।
(2) श्रीश्रीमती आशा साराभाई, दी रीट्रीट, शाही बाग, अहमदाबाद-380004।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुला जमिन जो सर्वे नं. 128/1/2 (भाग), गांव नाबोई, गांधीनगर जिला में स्थित है, जो बिक्री खाता नं. 500 पर संपूर्ण वर्णित में, गांधीनगर सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख 31-3-1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 30-10-1981
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक-आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 नवम्बर 1981

निर्देश सं. पी. आर. नं. 1431/अर्जन रेंज-23-I/81-82---अतः मुझे, जी. सी. गर्ग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं. आर. एस. नं. 14 पैकी प्लाट नं. 61 और 76 है, तथा जो एच. नं. 814, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-3-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ओत्तनदास शामनदास खूबचंदानी, सुमेर क्लब रोड, जामनगर।

(अन्तरक)

2. (1) श्री पुरुषोत्तम दामजीभाई सुदारिया, रणजीत नगर।
ब्लाक नं. एफ/3, फ्लेट नं. 465, जामनगर,
(2) श्री अरजनभाई जीवनभाई कानानी, 12, हाटकेश्वर सोसाइटी, जामनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुलाबनगर के नजदीक मील्कत खड़ी है, जिसका आर. एस. नं. 14 पैकी प्लाट नं. 61 से 76, वार्ड नं. 12, एच. नं. 814, जिसका कुल क्षेत्रफल 11550 वर्ग फिट है और जिसका निर्माण कार्य 372 वर्ग मीटर में है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन जामनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 648/3-3-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 3-11-1981
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 नवम्बर 1981

निर्देश नं. पी. आर. नं. 1432/अर्जन रेंज 23-1/81-82---अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं. सर्वे नं. 137, लीमडा लेन है, तथा जो कांग्रेस हाउस के सामने, जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-3-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री चंद्रकान्त अमृतलाल दोशी, कर्ता और मैनेजर चंद्रकान्त अमृतलाल दोशी, मुख्तारनामा श्रीमती चंद्रवतीबेन चंद्रकान्त और हिमांशु चंद्रकान्त, जामनगर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रवीनाबेन हेमन्तलाल भायानी, भायानी मेन्शन, गुरुद्वार रोड, जामनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जो लीमडा लेन, जानगर में स्थित है, शीट नं. 11, सर्वे नं. 137 पैकी जिसका कुल क्षेत्रफल 4340 वर्ग फिट, 403.19 वर्ग मीटर है तथा जिसका पूर्ण वर्णन जामनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खत नं. 1015/26-3-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख: 4-11-1981
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.---------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 नवम्बर 1981

निदेश नं. पी. आर. नं. 1435 अर्जन रेंज 23-1/81-82--अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. आर. एस. नं. 108/1 प्लाट नं. 12 है तथा जो जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जामनगर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-3-81

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---

1. श्री नरोत्तम लाधु शाह की ओर से श्री [illegible] यतजी दापीया हुन्नर शाला जामनगर।

(अन्तरक)

2. श्री नाथा दजाशी श्री रामशी मंगमन गांव चर तालुका-कल्याणपुर जिला-जामनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 747-85 वर्ग मीटर है तथा जो एरोड्राम रोड के नजदीक है, जिसका रेवन्यु एस नं. 108/1 पैकी प्लाट नं. 12 है। तथा जिसका पूर्ण वर्णन जामनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं 816/16-3-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, अहमदाबाद

तारीख : 4-11-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-।, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 नवम्बर 1981

निदेश नं. पी. आर. नं. 1433 अर्जन रेंज 23-।/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं. सर्वे नं. 471-472 पैकी प्लाट नं. 17, 18, 23 है। तथा जो 27 से 31 राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-3-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---

1. मैं. भूपतराय शीवराम के भागीदार
   (1) श्री भूपतराय शीवराम व्यास
   (2) श्री मगनलाल पी. जोशी
   (3) श्री जयंत बी व्यास
   (3) श्री जयंत बी व्यास
   (4) श्री भूपतराय मगनलाल जोशी 39, प्रहलाद प्लाट राजकोट।

(अन्तरक)

2. आराधना को. ओ. हा. सो. लिमिटेड प्रमुख - श्री भल्लाभाई के. चावडा 3, नवा थोराला, राजकोट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 6011 वर्ग यार्ड है तथा जो राजकोट में स्थित है। जिसका सर्वे नंबर 471-472 पैकी प्लाट नं. 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 और 31 है तथा पूर्ण वर्णन राजकोट रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 2049/25-3-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-।, अहमदाबाद

तारीख : 4-11-81
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 नवम्बर 1981

निदेश नं. पी. आर. नं. 1434 अर्जन रेंज 23-I/81-82—अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. आर. एस. नं. 108/1 पैकी प्लाट नं. 8 है तथा जो जामनगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जामनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन 16-3-81

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नाथालाल मेघजी शाह की ओर से श्री अमरतलाल वेदजी दोधिया हुन्नर शाला, जामनगर।

(अन्तरक)

2. श्री राम वादु श्री अरजना वादु गांव-चूर, तालूका-कल्याणपुर जिला-जामनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 702-32 वर्ग मीटर है तथा जिसका रेवन्यु सर्वे नं. 108/1 पैकी प्लाट नं. 8 और जिसका पूर्ण वर्णन जामनगर रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं. 815/16-3-1981 में दिया गया है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 4-11-81
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 नवम्बर 1981

निदेश नं. पी. आर. नं. 1209/एक्वी/23-II/81-82 ——अतः मुझे, जी. सी. गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. एस. नं. 70 है तथा जो बोलाव, ब्रोच में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ब्रोच में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 25-3-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :——

1. श्री वाली अब्राम बागस, बोलाव 1, ब्रोच।

(अन्तरक)

2. श्री दया भाई ज्ञानके भाई पटेल, 52 कुनंज सोसाइटी, अलकापुरी, बरोडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो एस. नं. 70, बोलाव ब्रोच में स्थित है जो यथाविधि तारीख 25-3-1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

जी. सी. गर्ग
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 6-11-81
मोहर :